कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
13/5/2024 वाद वादी तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट 1355 दिनांक 3/5/2024 तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, दस्तावेजों के आधार पर पोषणीय होने से दर्ज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ (झुंझुनूं)	

Scanned with CamScanner

१० न. उ[illegible] निरज/राधेश्याम
न्यायालय उपजिला कलक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएन न. 2024/93
मुकदमा नम्बर 31/2024

निरज कुमार पुत्र लालू सिंह जाति जाट निवासी नवलगढ तहसील नवलगढ

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र सीताराम जाति महाजन निवासी बडवासी
2. राजकुमार पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी बडवासी
3. खूबचन्द पुत्र सीताराम जाति महाजन निवासी बडवासी
4. सज्जन कुमार पुत्र सुशील जाति महाजन निवासी बडवासी
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू

दावा – घोषणार्थ अ.धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रतिनिधत्वः–

वकील वादी– श्री विपल पण्डित

प्रतिवादी – एक पक्षीय

–:निर्णयः–

निर्णय दिनांक 13.05.2024

वाद वादी इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम बडवासी कि सरहद में खाता सं 667 की भूमि खसरा न. 1644/1599 रकबा 0.7384 है0 में वादी के स्थान पर प्रतिवादी सं. 1 राधेश्याम पुत्र सीताराम को हिस्सा 444/923 रकबा 0.3552 है0 का तथा राजस्व ग्राम बडवासी में नई खाता सं. 682 की भूमि खसरा न. 1640/1599 रकबा 0.4863 है0 मे प्रतिवादी सं. 1 राधेश्याम पुत्र सीताराम के स्थान पर वादी को हिस्सा 1184/1621 रकबा 0.3552 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद वादी पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण को जारी की गई। प्रतिवादी सं. बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर इस प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार नवलगढ से प्रकरण के सम्बन्ध मे तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक 1355 दिनांक 3/5/2024 प्राप्त की गई। जिसके अनुसार उक्त वादी द्वारा चाही गई दुरुस्ती की जानी उचित है।

बहस एक पक्षीय वकील वादी द्वारा पेश करने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भी गहनता से अवलोकन किया गया। वाद मे प्रस्तुत दस्तावेजो तथा तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता ह।

"आदेश"

लिहाजा वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम बडवासी कि सरहद में खाता स. 667 की भूमि खसरा न. 1644/1599 रकबा 0.7384 है0 में वादी के स्थान पर प्रतिवादी सं. 1 राधेश्याम पुत्र सीताराम को हिस्सा 444/923 रकबा 0.3552 है0 का तथा राजस्व ग्राम बडवासी में नई खाता स. 682 की भूमि खसरा न. 1640/1599 रकबा 0.4863 है0 में प्रतिवादी सं. 1 राधेश्याम पुत्र सीताराम के स्थान पर वादी को हिस्सा 1184/1621 रकबा 0.3552 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरुस्ती व अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ को निर्देशित किया जाता है कि, निर्णय/आदेश अनुसार आवश्यक रिकार्ड दुरुस्ती व अमलदरामद कर पालना सुनिश्चत करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। निर्णय आज दिनांक 13/05/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर, खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

सत्य प्रतिलिपि

प्रतिलिपि अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

Scanned with CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6- 7 [illegible])

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

जीएसएन न. 2024 / 93

मुकदमा नम्बर 31 / 2024

(निरज कुमार बनाम राधेश्याम वगै0)

[illegible] घोषणार्थ अ.धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इंफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी, वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब-- मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी [illegible] व न्यायोचित होने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम बडवासी कि सरहद में खाता नं. 687 की भूमि खसरा नं. 1644 / 1599 रकबा 0.7134 है0 में वादी के स्थान पर प्रतिवादी सं. 1 राधेश्याम पुत्र सीताराम को हिस्सा 444 / 923 रकबा 0.3552 है0 का तथा राजस्व ग्राम बडवासी में नइ खाता सं. 682 की भूमि खसरा नं. 1640 / 1599 रकबा 0.4863 है0 में प्रतिवादी सं. 1 राधेश्याम पुत्र सीताराम के स्थान पर वादी को हिस्सा 1184 / 1621 रकबा 0.3552 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती व अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ को निर्देशित किया जाता है कि, निर्णय / आदेश अनुसार आवश्यक रिकार्ड दुरूस्ती व अमलदरामद कर पालना सुनिश्चत करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

जन...........–.............. मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–.......

.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–............का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 13 माह 05 सन 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00

सत्यप्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी [illegible]

Scanned with CamScanner